

भारत सरकार
आयुष मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 297*

08 अगस्त, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

ग्रामीण बाजारों में आयुष औषधियां

*297. एडवोकेट प्रिया सरोज:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देशभर के ग्रामीण बाजारों में उपलब्ध आयुष औषधियों और उत्पादों की गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावकारिता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा नियामक ढाँचा और तंत्र क्या हैं और आयुष उत्पादों के लिए समर्पित औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है;
- (ख) विगत तीन वित्तीय वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में घटिया, गलत ब्रांड वाली और मिलावटी आयुष औषधियों के कुल सूचित मामलों की राज्य-वार संख्या कितनी है और ऐसी औषधियों के निर्माताओं और वितरकों के विरुद्ध क्या दंडात्मक कार्रवाई की गई है;
- (ग) सरकार द्वारा आयुष औषधियों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में आयुष औषधियों की 'दवा सुरक्षा निगरानी' व्यवस्था (फार्माकोविजिलेंस) को सुदृढ़ करने के लिए की गई पहलों का ब्यौरा क्या है; और
- (घ) सरकार द्वारा ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में कारोबार कर रहे छोटे और मध्यम स्तर के आयुष औषधि निर्माताओं के बीच अच्छी विनिर्माण पद्धतियों (जीएमपी) को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं और उनके अनुपालन के लिए प्रदान की गई वित्तीय या तकनीकी सहायता का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

लोक सभा में 08 अगस्त, 2025 को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 297* के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): देश भर के ग्रामीण बाजारों में उपलब्ध आयुष औषधियों और उत्पादों की गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावकारिता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा नियामक ढांचे और तंत्र का विवरण तथा आयुष उत्पादों के लिए समर्पित औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं की संख्या, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार निम्नानुसार है:-

1. औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और औषधि नियम, 1945 में आयुर्वेदिक, सिद्ध, सोवा-रिग्पा, यूनानी एवं होम्योपैथी औषधियों के लिए विशेष नियामक प्रावधान हैं। आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी औषधियों से संबंधित प्रावधान औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अध्याय IVक और अनुसूची-झ में तथा औषधि नियम, 1945 के नियम 151 से 169, अनुसूची ड(I), न तथा न-क में दिए गए हैं। इसके अलावा, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की दूसरी अनुसूची (4क) में होम्योपैथिक औषधियों के लिए मानकों का प्रावधान है तथा औषधि नियम, 1945 के नियम 2घघ, 30कक, 67 (ग-ज), 85 (क से ठ), 106-क, अनुसूची-ट, अनुसूची ड-। होम्योपैथिक औषधियों से संबंधित हैं। निर्माताओं के लिए यह अनिवार्य है कि वे औषधि नियम, 1945 की अनुसूची-न तथा अनुसूची ड-। के अनुसार उत्तम विनिर्माण पद्धतियों (जीएमपी) के अनुपालन में निर्धारित अपेक्षाओं का पालन करें, जिसमें संबंधित भेषजसंहिताओं में दी गई औषधियों की सुरक्षा, प्रभावशीलता और गुणवत्ता मानक शामिल हैं।
2. औषध निरीक्षक अपने क्षेत्राधिकार में आने वाली विनिर्माण फर्में अथवा बिक्री की दुकानों से नियमित रूप से औषधियों के नमूने एकत्र करते हैं और उन्हें गुणवत्ता परीक्षण के लिए औषधि नियंत्रण विभाग के अंतर्गत औषधि परीक्षण प्रयोगशाला में भेजते हैं और यदि कोई नमूना 'मानक गुणवत्ता का नहीं' पाया जाता है, तो उपयुक्त कार्रवाई शुरू की जाती है जैसे कि बाजार से उत्पादों की बिक्री को रोक दिया जाता है और औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार उपयुक्त कानूनी कार्रवाई की जाती है।
3. भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी भेषजसंहिता आयोग (पीसीआईएमएंडएच), जो आयुष मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय है, आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी एवं होम्योपैथी (एसयूएंडएच) औषधियों के लिए फॉर्मूलरी विनिर्देश और भेषजसंहिता मानक निर्धारित करता है जो एसयूएंडएच औषधियों की गुणवत्ता (पहचान, शुद्धता और शक्ति) का पता लगाने के लिए आधिकारिक संग्रह के रूप में कार्य करता है। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और उसके तहत नियमों के अनुसार, भारत में विनिर्मित होने वाली एसयू एंड एच औषधियों के उत्पादन के लिए इन गुणवत्ता मानकों का अनुपालन अनिवार्य है। अब तक एसयू एंड एच औषधियों में प्रयुक्त कच्ची सामग्रियों (पादप/पशु/खनिज/धातु/रासायनिक मूल की एकल औषधियों) पर 2269 गुणवत्ता मानक, एसयू फार्मूलेशनों के 426 गुणवत्ता मानक और एसयू औषधियों के 2799 फार्मूलरी विनिर्देश प्रकाशित किए जा चुके हैं।
4. पीसीआईएम एंड एच, एसयू एंड एच औषधियों के परीक्षण या विश्लेषण के प्रयोजन से भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी के लिए केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला के रूप में भी कार्य करता है। इसके अलावा, यह एसयू एवं एच औषधियों के मानकीकरण/गुणवत्ता नियंत्रण/परीक्षण अथवा विश्लेषण के लिए औषधि विनियामक प्राधिकरणों, राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं (औषधि विश्लेषक) तथा अन्य हितधारकों को एसयू एंड एच औषधियों की गुणवत्ता बनाए रखने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली प्रयोगशाला तकनीकों तथा पद्धतियों पर एसयू एंड एच औषधियों के गुणवत्ता नियंत्रण के बारे में नियमित अंतराल पर क्षमता वर्धन प्रशिक्षण प्रदान करता है।

5. आयुर्वेदिक, सिद्ध, सोवा-रिग्पा, यूनानी एवं होम्योपैथी औषधियों की पहचान, शुद्धता, गुणवत्ता एवं क्षमता के ऐसे परीक्षण करने के लिए औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं को औषधि नियम, 1945 के नियम 160-क से ज के अंतर्गत मान्यता दी जा रही है। आज की तिथि तक विनिर्माताओं के लिए औषधि नियम, 1945 के उपबंधों के अंतर्गत 108 निजी प्रयोगशालाएं अनुमोदित अथवा लाइसेंस प्राप्त हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की 34 औषधि परीक्षण प्रयोगशालाएं, वैध नमूनों के लिए आयुर्वेदिक, सिद्ध, सोवा-रिग्पा, यूनानी एवं होम्योपैथी औषधियों तथा कच्ची सामग्रियों की गुणवत्ता की जांच कर रही हैं। आयुष उत्पादों के लिए समर्पित औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा **संलग्नक-I** में उपलब्ध है।
6. आयुष मंत्रालय ने एक घटक के रूप में उच्च मानक प्राप्त करने हेतु आयुष फार्मेशियों तथा औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं को सहायता देने के लिए आयुष औषधि गुणवत्ता एवं उत्पादन संवर्धन योजना (एओजीयूएसवाई) नामक एक केंद्रीय क्षेत्रीय योजना कार्यान्वित की है।
7. आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी एवं होम्योपैथी (एएसयू एंड एच) औषधियों के लिए भेषजसतर्कता कार्यक्रम आयुष मंत्रालय की एओजीयूएसवाई योजना के घटकों में से एक है। इसे औषधियों के उपयोग के संबंध में रोगियों की स्वास्थ्य देखभाल सेवा और सुरक्षा में सुधार करने, प्रतिकूल प्रभावों के प्रलेखन की संस्कृति विकसित करने, भेषजसतर्कता में शिक्षा और प्रशिक्षण को बढ़ावा देने तथा प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिखाई देने वाले भ्रामक विज्ञापनों पर निगरानी रखने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है।

(ख): राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार, पिछले तीन वित्तीय वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों से सूचित घटिया, गलत ब्रांड वाली और मिलावटी आयुष औषधियों के मामलों की कुल संख्या का राज्य-वार ब्यौरा और ऐसी औषधियों के विनिर्माताओं तथा वितरकों के विरुद्ध की गई दंडात्मक कार्रवाई का विवरण **संलग्नक-II** में दिया गया है।

(ग) और (घ): आयुष औषधियों के भेषजसतर्कता को सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में की गई पहलों का विवरण; और सरकार द्वारा ग्रामीण तथा अर्ध-शहरी क्षेत्रों में कार्यरत लघु एवं मध्यम स्तर के आयुष औषधि विनिर्माताओं के बीच उत्तम विनिर्माण पद्धतियों (जीएमपी) को बढ़ावा देने के लिए अपनाए गए उपायों तथा उनके अनुपालन के लिए प्रदान की गई वित्तीय अथवा तकनीकी सहायता का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

1. आयुष मंत्रालय ने केंद्रीय क्षेत्रीय योजना आयुष औषधि गुणवत्ता एवं उत्पादन संवर्धन योजना (एओजीयूएसवाई) कार्यान्वित की है। इस योजना हेतु पांच वर्षों के लिए कुल वित्तीय आवंटन 122.00 करोड़ रुपये है। एओजीयूएसवाई योजना के घटक निम्नप्रकार हैं -

क. उच्च मानक हासिल करने के लिए आयुष फार्मेशियों तथा औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं का सुदृढीकरण और उन्नयन।

ख. भ्रामक विज्ञापनों की निगरानी सहित एएसयू एंड एच औषधियों की भेषजसतर्कता।

ग. आयुष औषधियों के लिए तकनीकी मानव संसाधन एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रमों सहित केंद्रीय एवं राज्य नियामक ढांचे को मजबूत करना।

घ. भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), भारतीय गुणवत्ता नियंत्रण (क्यूसीआई) और अन्य संगत वैज्ञानिक संस्थानों तथा औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास केंद्रों के सहयोग से आयुष उत्पादों तथा सामग्रियों के मानकों के विकास और प्रत्यायन/प्रमाणन के लिए सहायता देना। *एओजीयूएसवाई योजना के विस्तृत दिशानिर्देश*

<https://ayush.gov.in/resources/pdf/schemes/aoushdhi.pdf> पर उपलब्ध हैं

2. आयुर्वेदिक, सिद्ध, यूनानी एवं होम्योपैथी (एसयू एंड एच) औषधियों के लिए भेषजसतर्कता कार्यक्रम को केंद्रीय क्षेत्र की योजना आयुष औषधि गुणवत्ता एवं उत्पादन संवर्धन योजना (एओजीयूएसवाई) के तहत कार्यान्वित किया गया है, जो देश भर में स्थापित एक राष्ट्रीय भेषजसतर्कता केंद्र (एनपीवीसीसी), पांच मध्यवर्ती भेषजसतर्कता केंद्रों (आईपीवीसी) और 97 परिधीय भेषजसतर्कता केंद्रों (पीपीवीसी) के त्रि-स्तरीय नेटवर्क के माध्यम से काम करता है। इन केन्द्रों को भ्रामक विज्ञापनों की निगरानी करने और चूककर्ता के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए संबंधित राज्य विनियामक प्राधिकरणों को रिपोर्ट करने का अधिदेश दिया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य, आयुष औषधियों पर सतर्कता रखना और भ्रामक विज्ञापनों को कम करना है ताकि उपभोक्ताओं का संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके और आयुष उत्पाद विनिर्माताओं द्वारा असत्यापित दावों के प्रसार को रोका जा सके।
3. आयुष औषधियों की भेषजसतर्कता को सुदृढ़ करने हेतु, एसयू एंड एच औषधियों के लिए भेषजसतर्कता कार्यक्रम के तहत पूरे देश में चिकित्सकों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और आम जनता सहित अन्य विभिन्न समूहों के लिए नियमित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं ताकि रोगियों की सुरक्षा के बारे में जागरूकता का प्रसार किया जा सके। अब तक देश भर में 328709 लाभार्थियों के साथ 3464 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। ब्यौरा **संलग्नक-III** में उपलब्ध है।
4. आयुष मंत्रालय ने सूचित किए गए भ्रामक विज्ञापनों (एमएलए)/आक्षेपणीय विज्ञापनों (ओए) और प्रतिकूल औषधि प्रतिक्रियाओं (एडीआर) पर नजर रखने के लिए आयुष स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों और जनता के लिए एक आईटी समर्थित ऑनलाइन पोर्टल "आयुष सुरक्षा" विकसित किया है और दिनांक 30 मई 2025 को इसका शुभारंभ किया है।
5. इसके अलावा, आयुष मंत्रालय नीचे दिए गए विवरण के अनुसार आयुष उत्पादों के निम्नलिखित प्रमाणों को प्रोत्साहित करता है:-
 - आयुष औषधियों की सुरक्षा एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु विनियामक उपायों को सुदृढ़ करने के लिए केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) में एक आयुष वर्टिकल सृजित किया गया है। इसके अतिरिक्त, सीडीएससीओ, इन मानकों का अनुपालन करने वाली आयुष औषधियों को डब्ल्यूएचओ सर्टिफिकेट ऑफ फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट (डब्ल्यूएचओ-सीओपीपी) जारी करता है।
 - गुणवत्ता प्रमाणन योजना जिसे घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुपालन की स्थिति के अनुसार गुणवत्ता के तीसरे पक्ष के मूल्यांकन के आधार पर आयुर्वेदिक, सिद्ध एवं यूनानी उत्पादों को आयुष मानक और प्रीमियम मार्क प्रदान करने के लिए भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) द्वारा कार्यान्वित किया गया है।

आयुष उत्पादों के लिए समर्पित औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण निम्न प्रकार है: -

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सरकारी/संघ राज्य क्षेत्र की औषधि परीक्षण प्रयोगशालाएँ	औषधि नियम 1945 के नियम 160 क से झ के अंतर्गत अनुमोदित निजी औषधि परीक्षण प्रयोगशालाएं
1.	आंध्र प्रदेश	01	00
2.	अरुणाचल प्रदेश	01	00
3.	असम	01	00
4.	बिहार	01	00
5.	छत्तीसगढ़	01	00
6.	गुजरात	01	06
7.	हरियाणा	01	09
8.	हिमाचल प्रदेश	01	03
9.	जम्मू-कश्मीर	01	00
10.	झारखंड	01	00
11.	कर्नाटक	01	09
12.	केरल	02	09
13.	मध्य प्रदेश	01	06
14.	महाराष्ट्र	02	13
15.	मणिपुर	01	00
16.	मिजोरम	01	00
17.	मेघालय	01	00
18.	नागालैंड	01	00
19.	ओडिशा	02	04
20.	पुदुचेरी	01	00
21.	पंजाब	01	02
22.	राजस्थान	01	10
23.	सिक्किम	01	00
24.	तमिलनाडु	01	12
25.	तेलंगाना	02	01
26.	त्रिपुरा	01	00
27.	उत्तर प्रदेश	02	05
28.	उत्तराखंड	01	05
29.	पश्चिम बंगाल	01	01
30.	दिल्ली	00	13

पिछले तीन वित्तीय वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों से रिपोर्ट की गई अवमानक, गलत ब्रांड वाली और मिलावटी आयुष दवाओं के कुल मामलों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण और ऐसी दवाओं के निर्माताओं और वितरकों के विरुद्ध की गई दंडात्मक कार्रवाई निम्न प्रकार है:

क्र.सं.	राज्य	उत्तर			
1.	केरल	क्र.सं.	अवमानक औषधि का नाम	निर्माता का नाम	कानूनी कार्रवाई का विवरण
		1	मुष्टरिष्टम एए 02/22	मेसर्स वल्लूवनाड आयुर्वेद औषधशाला, केरलसेरी	उत्पाद एक महीने के लिए निलंबित
		2	हिंगुवाचादि गुलिका एक्सबीजीडी	एम/एस नागार्जुन हर्बल कॉन्सल्टेंट्स लिमिटेड कलायनथन्नी, थोडुपुझा	विभागीय कार्रवाई- 30 दिनों के लिए उत्पादन निलंबन
		3	मुष्टरिष्टम	एम/एस सिद्धा हर्बल प्रोडक्ट्स, पोराथिस्सेरी, इरिन्जालक्कुडा, त्रिशूर	उत्पाद एक महीने के लिए निलंबित
		5	अमृतोतरं कषायम	इट्टुझी वैद्यशाला, मय्यिल, कन्नूर	उत्पाद एक महीने के लिए निलंबित
		6	धन्वंतरं कषायम	इट्टुझी वैद्यशाला, मय्यिल, कन्नूर	अंतिम शिकायत 4/10/2024 को न्यायालय में दायर की गई
		7	अभयारिष्टम	मेसर्स बाला हर्बल्स, इंडस्ट्रियल एस्टेट, करुनागप्पल्ली, कोल्लम	माननीय जेएफएम कोर्ट- करुनागप्पल्ली के समक्ष अंतिम शिकायत दायर की गई केस संख्या एसटी 585/23

		8	दशमूलारिष्टम	मेसर्स पीएम फार्मसी कोल्लम	उत्पाद एक महीने के लिए निलंबित
		9	हरिद्रखंडम	चैतन्य आयुर्वेद फार्मसी वडकारा, कोझिकोड	उत्पाद एक महीने के लिए निलंबित
		10	जी पी चूर्णम	सन आयुर्वेदिक मेडिसिन्स, पोन्नानी, मलप्पुरम	विभागीय कार्रवाई की गई
		11	अशोकारिष्टम बैच सं. 01/2025	जयलक्ष्मी फार्मा म्यनागापल्ली, कोल्लम	कारण बताओ नोटिस भेजा गया और उत्पाद की बिक्री रोक दी गई
		12	दशमूलारिष्टम	मेसर्स वैद्यशाला वीट्टिल औषधशाला, एलामाडु पीओ, कोल्लम	कारण बताओ नोटिस भेजा और उत्पाद की बिक्री रोक दी
		13	अमृतारिष्टम	मेसर्स वैद्यशाला वीट्टिल औषधशाला, एलामाडु पीओ, कोल्लम	कारण बताओ नोटिस भेजा और उत्पाद की बिक्री रोक दी
		14	अशोकारिष्टम	शक्ति आयुर्वेद फार्मास्यूटिकल्स, तिरुवनंतपुरम	अंतिम शिकायत न्यायालय में दायर करने के लिए तैयार की जा रही है।
		15	बालारिष्टम	शक्ति आयुर्वेद फार्मास्यूटिकल्स, तिरुवनंतपुरम	अंतिम शिकायत न्यायालय में दायर करने के लिए तैयार की जा रही है।
		16	अमृतारिष्टम	शक्ति आयुर्वेद फार्मास्यूटिकल्स, तिरुवनंतपुरम	अंतिम शिकायत अदालत में दायर करने के लिए तैयार की

					जा रही है।
2.	झारखंड	क्र. म.	उत्पाद का नाम	उत्पादक	कार्रवाई
		1.	हैलो-जिव	मेसर्स युवनाम प्राइवेट लिमिटेड, गुटुवा, रांची	उत्पाद अनुमोदन रद्द
		2.	आरईपीएल ऑर्थोविट कैप्सूल	रेनोवेशन एक्सपोर्ट प्रा. लिमिटेड यूनिट-II भुइयांडीह, कामीडीडह, पीओ चिलगु, पीएस:- चांडिल, जिला: सरायकेला-खरसावां- 832401	मामला दर्ज
		3.	मेंसट्रुअल पैन मिन 30 एमएल	भारती फार्मा, सी-39, फेज 2, इंडस्ट्रीज एरिया, आदित्यपुर- 831013	उत्पाद 60 दिनों के लिए निलंबित
		4.	लिव ड्रॉप्स 30एमएल	भारती फार्मा, सी-39, फेज 2, इंडस्ट्रीज एरिया, आदित्यपुर- 831013	उत्पाद 60 दिनों के लिए निलंबित
		5.	उर्जिनिया टिंचर आईपी 66	मेसर्स मोक्सी फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, शेड नंबर- बी 12 और 13, जसीडीह औद्योगिक क्षेत्र, जसीडीह, देवघर- 814142	उत्पाद को स्वीकृत उत्पाद सूची से रद्द/हटा दिया गया
3.	त्रिपुरा	वर्षवार रिपोर्ट		गलत ब्रांड वाली आयुष दवाएं	अवमानक आयुष औषधियाँ
		2022-2023		62	03
		2023-2024		07	-
		2024-2025		36	-
		2025 से अब तक		-	01
4.	गोवा				
			उत्पाद का नाम	निर्माता	कार्रवाई
		एनएस क्यू दवा का 01 मामला रिपोर्ट	अविपत्तिकर चूर्ण (टैबलेट्स), बीएन: एचसीटी-	मेसर्स करनानी फार्मास्यूटिकल्स (पी) लिमिटेड; तथ्य: एफ-67, औद्योगिक क्षेत्र,	मेसर्स करनानी फार्मास्यूटिकल्स (पी) लिमिटेड का विनिर्माण लाइसेंस छह महीने की अवधि के लिए निलंबित

		किया गया	21, एम/डी: 12/2021, ई/डी: 11/2024,:	भिवाड़ी 302019 (राजस्थान), विवरण के अनुरूप नहीं है।	- कर दिया गया। अस्पताल फार्मसी, उत्तरी गोवा जिला अस्पताल, (असिलो अस्पताल), मापुसा गोवा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जहां से नमूना लिया गया था।	
5.	महाराष्ट्र	पिछले तीन वित्तीय वर्षों में महाराष्ट्र राज्य से रिपोर्ट की गई अवमानक, गलत ब्रांड वाली और मिलावटी आयुष दवाओं के कुल मामलों की संख्या निम्न प्रकार है:-				
		अवधि	01/04/2022 से 31/03/2023	01/04/2023 से 31/03/2024 तक	01/04/2024 से 31/03/2025 तक	01/04/2025 से 30/06/2025
		एकत्र किए गए आयुर्वेदिक नमूने	834	761	343	23
		परीक्षण किए गए आयुर्वेदिक नमूने	526	476	343	23
		एनएसक्यू घोषित नमूनों की संख्या	17	08	30	08
		अभियोजन के लिए जारी सहमति की संख्या	14	05	28	08
6.	पश्चिम बंगाल	क्र.सं.	वर्ष	अवमानक, गलत ब्रांड वाली और मिलावटी आयुष दवाओं के कुल मामलों की संख्या		
		1	2022	11		
		2	2023	13		
		3	2024	09		
7.	ओडिशा	पिछले तीन वित्तीय वर्षों में ओडिशा राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों से अवमानक, गलत ब्रांड वाली और मिलावटी आयुष दवाओं का कोई मामला सामने नहीं आया।				

8.	गुजरात	पिछले तीन वित्तीय वर्षों में अवमानक मामलों की कुल संख्या 45 है और राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और उसके नियमों के प्रावधानों के तहत अंतिम विभागीय कार्रवाई की है।
9.	उत्तराखंड	पिछले दो वर्षों में कुल 123 नमूने अवमानक गुणवत्ता के पाए गए। औषधि निरीक्षक द्वारा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के नियमों के अनुसार कार्रवाई की गई। साथ ही, राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा निर्माताओं/कंपनियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई भी की गई।
10.	हरियाणा	औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार कार्रवाई की गई है।
11.	संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख	संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख में कोई मामला रिपोर्ट नहीं किया गया।
12.	मध्य प्रदेश	ऐसा कोई डेटा एकत्र नहीं किया गया।
13.	मणिपुर	ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है।
14.	पुदुचेरी	शून्य
15.	दिल्ली	शून्य
16.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य

रोगी सुरक्षा के संबंध में जागरूकता फैलाने के लिए चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मियों और आम जनता सहित अन्य विभिन्न समूहों के लिए एएसयू और एच औषधियों हेतु भेषजसतर्कता कार्यक्रम के अंतर्गत पूरे देश में आयुष औषधियों की भेषजसतर्कता को सुदृढ़ करने हेतु आयोजित जागरूकता कार्यक्रमों का विवरण इस प्रकार है:-

वर्ष	जागरूकता कार्यक्रम	लाभार्थी
2018	1	50
2019	54	800
2020	60	4300
2021	118	14659
2022	292	23510
2023	586	43396
2024	1065	105148
2025 (जून 2025 तक)	692	66255
कुल	2868	2,58,118